न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री प्यारे लाल सोठवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	तारीख दायर	तारीख निर्णय
3/35/2022	01/04/2022	20.05.2022

बउनवान

1.राम प्रसाद पुत्र स्व0 बल्लू राम पौत्र नहना जाति जाटव उम्र करीब 40 साल निवासी ग्राम गूंदपुर तह0 व जिला अलवर –राजस्थान

--प्रार्थी

बनाम

1.तहसीलदार भू0अ0 अलवर --असल अप्रार्थी

2.दीपक पुत्र स्व0 बल्लू राम पौत्र नहना जाति जाटव उम्र करीब 30 साल निवासी ग्राम गूंदपुर तह0 व जिला अलवर –राजस्थान।

3.श्रीमती बिमला पत्नि स्व0 बल्लू राम,

4.श्रीमती चन्दरी पत्नि स्व0 बल्लू राम, जातियान जाटव निवासीयान ग्राम गूंदपुर तह0 व जिला अलवर–राजस्थान।

--तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
भू0राजस्व अधि0

: निर्णय :

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0भू0अधि0 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी की आराजी खाता सं. 92 हाल खसरा नम्बरान 1061/683 रकबा 0.01 है0, 1064/684 रकबा 0.01 है0, 1066/679 रकबा 0.015 है0, 1068/680 रकबा 0.015 है0, 1070/681 रकबा 0.01 है0, 1072/682 रकबा 0.01 है। कुल किता 6 रकबा 0.07 है0 व आराजी खाता सं. 205 खसरा नम्बरान 1062/684 रकबा 0.055 है0, 1067/680 रकबा 0.1350 है0, 1069/681 रकबा 0.11 है। कुल किता 3 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम गूंदपुर तहसील व जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं विवादित आराजीयात हाल खाता सं. 92 में मृतक बल्लू राम पुत्र नहना का 1/12 हिस्सा व आराजी खाता सं. 205 में मृतक बल्लू राम पुत्र नहना का 1/3 हिस्सा सालिम कब्जे काश्त खातेदारी का हैं। मृतक बल्लू राम को उपरोक्त आराजीयात में हक व हिस्सा विरासत में अपने पिता से प्राप्त हुआ हैं। जिसका विरासत इंतकाल सं. 33 हैं। उक्त विवादित इंतकाल व उसके पश्चातवर्ती राजस्व रिकोर्ड में प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के पिता व पति बल्लू राम के स्थान पर लल्लू पुत्र नहना दर्ज चला आ रहा हैं। जिसका ज्ञान प्रार्थी को पूर्व में नहीं हो सका। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के पिता व पति बल्लू राम का स्वर्गवास हो चुका हैं। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण मृतक बल्लू राम के विधिक वारिस व कायम मुकाम हैं। मृतक बल्लू राम अपने जीवन काल में दो विवाह किये थे। जिसमें प्रथम विवाह तरतीबी अप्रार्थी सं. 4 चन्दरी के साथ किया था। जिससे प्रार्थी राम प्रसाद संतान पैदा हुई हैं व प्रथम पत्नि तरतीबी अप्रार्थी सं. 4 से सामाजिक तलाक होने पर दूसरा विवाह तरतीबी अप्रार्थी सं. 3 बिमला के साथ किया था। जिससे तरतीबी अप्रार्थी सं. 2 संतान पैदा हुई हैं। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण अपने पिता व पति की विरासत में प्राप्त आराजीयात पर ताहाल काबिज दाखिल रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। यह हैं कि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण अपने पति व पिता से विरासत में प्राप्त आराजीयात पर केसीसी योजना के तहत ऋण प्राप्त करने हेतु बैंक में गये । जहाँ पर बैंक द्वारा विवादित आराजीयात की जमाबंदी इत्यादि की नकल लाने हेतु कहा। जिस पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजीयात की जमाबंदी की नकल इत्यादि प्राप्त की । जिस पर प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की जानकारी में आया हैं कि

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उनके पति व पिता बल्लू राम का नाम विवादित आराजीयात की बाबत राजस्व अभिलेख में बल्लू राम पुत्र नहना के स्थान पर लल्लू पुत्र नहना दर्ज व अंकित किया हुआ हैं। जबकि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण के पति व पिता के सभी सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेज में बल्लू राम पुत्र नहला दर्ज व अंकित हैं। राजस्व रिकार्ड में हुई त्रुटि को दुरूस्त करने व विवादित आराजीयात में गलत प्रकार से राजस्व अभिलेख में अंकन लल्लू पुत्र नहना के नाम का अंकन कलमजन किया जाकर उसके स्थान पर बल्लू राम पुत्र नहना का इन्द्राज राजस्व अभिलेख जमाबंदी इत्यादि में करने हेतु निवेदन किया तो इसके लिए असल अप्रार्थी ने सक्षम न्यायालय से अहकाम जारी कराने के लिए कहा

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार अलवर से रिर्पोट ली गई तहसीलदार अलवर ने अपनी रिर्पोट में अंकित किया कि इंतकाल संख्या 82 दिनांक 19.06.1981 किस्म विरास्त वाके ग्राम गूंदपुर द्वारा मृतक नहना पुत्र खैराती जाटव की विरास्त कजोडी, लालजी, बल्लू पुत्रान नहना धप्पो बेवा नहना जाति चमार के नाम दर्ज होकर स्वीकार हुई। मुताबिक जमाबन्दी सवंत 2038 खात संख्या 38/42 खसरा नम्बर 413 रकबा 5 बीघा 01 बिस्वा पर इंतकाल संख्या 82 विरास्त से कजोडी, लालजी, बल्लू पुत्रान नहना धप्पो बेवा नहना जाति चमार दर्ज होने का नोट है। वक्त रोटेशन जमाबन्दी सवंत 2047 के खाता संख्या 08 ख0न0 413 रकबा 05 बीघा 01 बिस्वा पर बल्लू पुत्र नहना के स्थान पर लल्लू पुत्र नहना दर्ज हो गया है। उक्त इन्द्राज हाल जमान्दी वाके ग्राम गूंदपुर के खाता संख्या 92 व 205 पर लल्लू पुत्र नहना दर्ज रिकार्ड है। तहसीलदार अलवर ने अपनी रिर्पोट में अंकित किया है कि हाल जमाबन्दी में लल्लू पुत्र नहना के स्थान पर बल्लू पुत्र नहना दुरूस्त किये जाने के अभिशंषा की है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज0भू0अधि0 मुताबिक रिर्पोट तहसीलदार एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर स्वीकार किया जाता है। हाल आराजी खसरा आराजी खाता सं. 92 हाल खसरा नम्बरान 1061/683 रकबा 0.01 है0, 1064/684 रकबा 0.01 है0, 1066/679 रकबा 0.015 है0, 1068/680 रकबा 0.015 है0, 1070/681 रकबा 0.01 है0, 1072/682 रकबा 0.01 है। कुल किता 6 रकबा 0.07 है0 व आराजी खाता सं. 205 खसरा नम्बरान 1062/684 रकबा 0.055 है0, 1067/680 रकबा 0.1350 है0, 1069/681 रकबा 0.11 है। कुल किता 3 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम गूंदपुर तहसील व जिला अलवर में लल्लू पुत्र नहना के स्थान पर बल्लू पुत्र नहना दर्ज कर दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहसीलदार अलवर को पालनार्थ भिजवाई जावें।

(प्यारे लाल सौठवाल)
उपखण्ड अधिकारी
अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर